

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 49

भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	157.76	57.20	214.96	133.76	57.20	190.96	213.56	62.00	275.56	
पूंजी	192.24	400.00	592.24	166.24	400.00	566.24	136.44	400.00	536.44	
जोड़	350.00	457.20	807.20	300.00	457.20	757.20	350.00	462.00	812.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.70	8.19	9.89	1.70	12.46	14.16	1.90	16.70	18.60
उद्योग										
इंजीनियरिंग उद्योग										
2. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास	2852	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
3. राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण एवं आर एंड डी अवसरचना परियोजना	2852	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	180.00	...	180.00
4. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	2852	0.10	0.10
5. राष्ट्रीय इन्स्ट्रुमेंट लि.	2852	1.81	1.81
6. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण	2852	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00
7. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2852	...	24.00	24.00	...	17.82	17.82	...	20.29	20.29
8. ऋण को बट्टे खाते डालना										
8.01 नेशनल इंस्ट्रुमेंटेशन लि.	2852	90.55	90.55
8.02 भारत हैवी प्लेट्स और वैसेल्स लि.	2852	224.80	224.80
8.03 भारत यंत्र निगम लि.	0852	-315.35	-315.35
8.02 घटाइए-निवल प्राप्तियां	निवल
9. ब्याज की माफी										
9.01 नेशनल इंस्ट्रुमेंटस लि.	2852	138.08	138.08
9.02 भारत वैगन और इंजीनियरी कं. लि.	2852	45.95	45.95
9.03 भारत हैवी प्लेट्स और वैसेल्स लि.	2852	190.81	190.81
9.04 घटाइए-निवल प्राप्तियां	0049	374.84	374.84
9.04 घटाइए-निवल प्राप्तियां	निवल	-374.84	-374.84
10. इक्विटी को कम दिखाना										
10.01 नेशनल इंस्ट्रुमेंटस लि.	2852	8.31	8.31
10.02 भारत वैगन और इंजीनियरी कं. लि.	2852	113.63	113.63
10.03 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0852	-121.94	-121.94
10.03 घटाइए - निवल प्राप्तियां	निवल
11. अन्य व्यय	2852	7.06	0.01	7.07	7.06	0.01	7.07	7.66	0.01	7.67
जोड़-उद्योग		156.06	49.01	205.07	132.06	44.74	176.80	211.66	45.30	256.96
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	35.00	...	35.00
13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	4858	21.00	...	21.00	15.00	...	15.00
14. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
इंजीनियरिंग उद्योग										
14.01 भारत यंत्र निगम लि.	6858	4.43	4.43
14.02 भारत भारी उद्योग निगम लि.	6858	4.19	4.19
14.03 एच.एम.टी. लि.	6858	83.28	83.28
14.04 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और सांविधिक बकायों के लिए एकमुश्त राशि	6858	...	250.00	250.00	...	190.86	190.86	...	250.00	250.00

सं.49 / भारी उद्योग विभाग

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2008 -2009			संशोधित 2008 -2009			बजट 2009 -2010			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.05	नेशनल इन्सट्रुमेंट लि.	6858	0.47	0.47	
14.06	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	6858	49.32	49.32	
14.07	भारत ओम्प्याल्मिक ग्लास लि.	6858	1.99	1.99	
14.08	इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. कोटा	6858	12.78	12.78	
उपभोक्ता उद्योग											
14.09	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की योजना के लिए एकमुश्त राशि	6854	...	150.00	150.00	...	43.96	43.96	...	150.00	150.00
14.10	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस विनिर्माण लि.	6860	8.72	8.72	
जोड़ - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण		...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	
15.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4854	5.01	...	5.01	5.01	...	5.01	5.01	...	5.01
		4858	13.91	...	13.91	34.91	...	34.91	34.24	...	34.24
		4860	81.04	...	81.04	55.04	...	55.04	6.53	...	6.53
		6854
		6858	13.26	...	13.26	13.26	...	13.26	34.16	...	34.16
		6860	3.02	...	3.02	3.02	...	3.02	6.50	...	6.50
	जोड़	116.24	...	116.24	111.24	...	111.24	86.44	...	86.44	
कुल जोड़		350.00	457.20	807.20	300.00	457.20	757.20	350.00	462.00	812.00	
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश											
		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
इंजीनियरिंग उद्योग											
15.01	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	12858	...	1016.00	1016.00	...	1016.00	1016.00	...	2483.00	2483.00
15.02	एच.एम.टी.लि.	12858	0.05	1.00	1.05	0.05	1.00	1.05	36.84	...	36.84
15.03	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	12858	0.01	63.00	63.01	0.01	63.00	63.01	0.01	59.57	59.58
15.04	स्कूटर्स इंडिया लि.	12858	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
15.05	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.06	इंस्ट्रुमेंटेशन लि.	12858	3.52	...	3.52	3.52	...	3.52	4.63	...	4.63
15.07	एन्ड्रूयू यूल एंड कम्पनी लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.08	प्रागा-टूल्स लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.09	भारत यंत्र निगम लि.	12858	0.04	57.00	57.04	0.04	57.00	57.04	0.03	141.00	141.03
15.10	भारत भारी उद्योग निगम लि.	12858	19.52	...	19.52	16.20	...	16.20	20.87	...	20.87
15.11	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	12858	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
15.12	इंस्ट्रुमेंटेशन लि.,कोटा/राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रुमेंट लि.	12858	...	2.49	2.49	...	2.49	2.49	...	3.00	3.00
15.13	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12858	0.01	1.95	1.96	0.01	1.95	1.96	0.01	2.20	2.21
15.14	भारत वैगन और इंजीनियरी कंपनी लि.	12858	24.32	...	24.32
15.15	नेशनल ऑटोमेटिव टैस्टिंग आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट	12858	11.00	11.00	...	11.00	11.00
15.16	कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स	12858	100.00	100.00
15.17	फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट	12858	0.50	0.50	...	0.75	0.75
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग		27.18	1151.44	1178.62	48.18	1162.94	1211.12	68.41	2810.52	2878.93	
उपभोक्ता उद्योग											
15.18	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	12860	78.01	1183.83	1261.84	52.01	1183.83	1235.84	5.01	100.00	105.01
15.19	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि.	12860	...	546.44	546.44	...	546.44	546.44	...	57.07	57.07
15.20	नेपा लि.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.21	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	12860	4.03	...	4.03	4.03	...	4.03	6.00	...	6.00

(करोड़ रुपए)

विकास शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
15.22 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि.	12860	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	2.00	
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	84.05	1730.27	1814.32	58.05	1730.27	1788.32	13.02	157.07	170.09	
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग										
15.23 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	12854	0.01	114.92	114.93	0.01	114.92	114.93	0.01	138.02	138.03
15.24 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन	12854	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	5.00	
जोड़	116.24	2996.63	3112.87	111.24	3008.13	3119.37	86.44	3105.61	3192.05	
ग. आयोजना परिव्यय										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	205.93	1151.44	1357.37	181.93	1162.94	1344.87	296.96	2810.52	3107.48
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	84.06	1730.27	1814.33	58.06	1730.27	1788.33	13.03	157.07	170.10
3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	5.01	114.92	119.93	5.01	114.92	119.93	5.01	138.02	143.03
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	35.00	...	35.00
जोड़	350.00	2996.63	3346.63	300.00	3008.13	3308.13	350.00	3105.61	3455.61	

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **ऑटोमोटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकास:** अनुसंधान संस्थानों अर्थात् ए0आर0ए0आई0, पुणे, वी0आर0डी0ई0, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे तथा देश के अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग को अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप):** यह आटोमोटिव क्षेत्र में अब तक भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पहल है तथा देश में परीक्षण करना, वैद्यता और अनुसंधान और विकास अवसंरचना का सृजन करने के लिए भारत सरकार, कई राज्य सरकारों और भारतीय मोटर वाहन उद्योग के बीच अद्वितीय सहयोग है। इस परियोजना में देश में सात स्थलों पर तीन वर्षों में दो चरणों में 1718 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैट्रिस) को नैट्रिप के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में शीर्ष निकाय बनाया गया है।

6. पूंजीगत माल क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु टोकन प्रावधान रखा गया है।

7. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी :** स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक ऋणों की व्यवस्था करने की एक स्कीम के तहत देय ब्याज के लिए प्रावधान है।

11. **अन्य व्यय :** फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एससीआरआई) और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है। प्रवाह मापन और नियंत्रण उपायों से संबंधित कार्य करने और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में एक यूएनडीपी परियोजना के रूप में एफसीआरआई की स्थापना की गई। इसमें संवर्धनात्मक कार्यकलापों और भुगतान आयुक्त, कोलकाता के लिए औद्योगिक संघों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनुदान शामिल है।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान :** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की सुविधाओं की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

13. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एक मुश्त प्रावधान:** भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एक मुश्त प्रावधान किया गया है। इसमें पुनरुद्धार पैकेजों के लिए योजना सहायता शामिल है।

14. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को गैर-योजनागत ऋण :** सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों को उनके संसाधनों में अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए गैर-योजनागत ऋणों की व्यवस्था है। इसमें वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन और कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं में कमी के लिए 250.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों की पुनर्संरचना/पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150.00 करोड़ रुपये का एक अन्य एक मुश्त प्रावधान है। जिसे बाद में नई सेवा/सेवा के नए साधन के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकारी अनुमोदन के आधार पर उनकी निधियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभाग के अन्तर्गत अन्य क्षेत्र के उद्यमों के पक्ष में पुनर्विनियोजित किया गया है।

14.01 **भारत यंत्र निगम लि0 (बीवाईएनएल):** इसे 1986 में नियंत्रक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। इसकी सहायक कंपनियां हैं अर्थात् भारत हेवी प्लेट्स एवं वैसल्स लि., भारत पम्प एंड कम्प्रेसर लि0, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि0, रिचर्डसन एंड क्रूडस लि0 (1972) और ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि0।

(i) **भारत पम्प एंड कम्प्रेसर लि. (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद:-** कंपनी की स्थापना 1.1.1970 को की गई थी। बीपीसीएल मुख्यतः सेन्ट्रीफ्यूगल और रिसीप्रोकेटिंग पंप, कार्बोनेट और अमोनिया पम्प रिसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर और गैस/सीएनजी सिलेण्डर के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी में एक पुनर्गठन और पुनः संरचना योजना का दिसम्बर, 2005 में अनुमोदन किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल का बीएचईएल, ओएनजीसी और और ईआईएल के सहयोग से पुनर्गठन किया गया। कंपनी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बन गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान बीपीसीएल का टर्न ओवर 194.59 करोड़ रुपये और पीबीटी 30.50 करोड़ रुपये था।

(ii) **ब्रिज एंड रूफ क. (इंडिया) लि., कोलकाता:-** कंपनी की स्थापना 16.1.1920 को हुई थी। कंपनी मुख्यतः सिविल एवं मैकेनिकल विनिर्माण, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल और वैगन, बेली ब्रिज, मैरीन फ्रेड कंटेनर आदि के विनिर्माण में संलग्न है। वर्ष 2005 और 2006 में कंपनी में वित्तीय पुनःसंरचना का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान बीएंडआर का टर्नओवर और पीबीटी क्रमशः 714.79 करोड़ रु और 11.27 करोड़ रुपये रहा।

(iii) **रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लि. (आरएंडसी), मुम्बई-** कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। यह कंपनी मुख्यतः स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन टावर, ट्यूबवैल और हैंडपम्प आदि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। कंपनी की मुम्बई में मलन्द और भायकुला, नागपुर और चेन्नई में चार इकाइयाँ हैं। कंपनी सरकारी क्षेत्र का एक रूग्ण उद्यम है जो वर्तमान में बीआईएफआर को संदर्भित है।

(iv) **त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल), नैनी, इलाहाबाद-**कंपनी की स्थापना 1965 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टावर, प्रेशर वेसल, पाइप और पेन स्टॉक आदि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। कंपनी सरकार क्षेत्र का एक रूग्ण उद्यम है और बीआईएफआर के साथ ही एएआईएफआर ने भी इसे बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए दूसरे सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम गठन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) **तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. हॉस्पेट (कर्नाटक):-** कंपनी की स्थापना 1960 में की गई। कंपनी मुख्यतः हाइड्रोलिक संरचना, पेनस्टॉक, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन टावर आदि के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी बीआईएफआर को संदर्भित की गई सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कंपनी है। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम के गठन प्रयास किए जा रहे हैं।

14.02 भारत भारी उद्योग निगम लि0 (बीबीयूएनएल):- एक नियंत्रित कंपनी के रूप में इसकी संस्थापना 1986 में की गई जिसमें सात सहायक कंपनियाँ अर्थात् बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि0 (बीएससीएल), जेसप एण्ड कंपनी लि0 (जेसीएल), ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि0 (बीसीएल), भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि0 (बी.डब्ल्यू.ई.एल.), ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि (बीबीजे), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि0 (बीपीएमईएल) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लि0 (एलजेएमसी) शामिल हैं। इनमें से दो सहायक कंपनियों नामतः जेसीएल और एलजेएमसी के संबंध में अधिकांश शेरधारिता रणनीतिक भागीदारों को स्थानांतरित कर दिया गया है। बीपीएमईएल और इसकी सहायक कंपनी वेवर्ड इंडिया लि0 (डब्ल्यूआईएल) को बंद कर दिया गया है और कंपनी की परिसम्पत्तियों को परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। बीएसईएल की सात हानि उठा रही रिफेक्टरी इकाइयों और दो सहायक कंपनियों अर्थात् भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि. (बीबीवीएल) और रेरॉल बर्न लि.(आरबीएल) को भी बंद कर दिया गया है। बीबीयूएनएल की चार प्रचालनशील सहायिकाओं में से तीन कंपनियाँ नामतः बीएससीएल, बीसीएल, बीडब्ल्यूईएल रूग्ण थी तथा बीआईएफआर के संदर्भाधीन थी। मै0 बीबीजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के कारण रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिक) के क्षेत्राधिकार में नहीं था। हालांकि, सरकार की नीति में परिवर्तन तथा लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन होने से इन चार कंपनियों को वित्तीय पुनर्संरचना के जरिए पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। बीआरपीएसई ने पहले ही बीबीजे, बीसीएल और बीडब्ल्यूईएल का पुनरुद्धार करने की सिफारिश की है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा बीसीएल और बीबीजे का पुनरुद्धार किया गया।

14.05 नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लि0 (एनआईएल):- कंपनी को वर्ष 1957 में निगमित किया गया। यह सर्वे के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल और ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में लगी हुई है। वर्तमान में कंपनी सर्वे यंत्रों के लिए व्यवसाय कारोबार में भी लगी है जो अधिकांशतः निर्यात मदे है। व्यावहारिक तौर पर कोई आन्तरिक उत्पादन नहीं होता है।

14.06 हिन्दुस्तान केबल्स लि0 (एचसीएल):- भारत सरकार के उपक्रम, एचसीएल का निगमन 1952 में किया गया था यह कंपनी दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है। इसकी तीन यूनिटें हैं जो रूपनारायणपुर(प. बंगाल), हैदराबाद(आंध्र प्रदेश) और इलाहाबाद(उत्तर प्रदेश) में कार्यरत है और पृथक टर्नकी प्रोजेक्ट प्रभाग है। कंपनी बीआईएफआर द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एचसीएल द्वारा कंपनी की पुनर्संरचना के लिए अध्ययन करने हेतु आईआईटी, खडगपुर और मै0 टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को नियुक्त किया गया है। इसके बीआरपीएसई के एचसीएल के पुनरुद्धार के लिए पब्लिक अथवा प्राइवेट क्षेत्र के उद्यमों से एक संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने की सिफारिश की

जिसके न मिलने पर तुलन पत्र का समाशोधन करके पूरी तरह विनिवेश कर दिया जाएगा। इनमें से एमएमटीसी लि. और आरआईएनएल से प्राप्त दो संभावित प्रस्तावों का पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और निबंधनों पर प्रस्ताव तैयार करने हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

14.07 भारत ऑथ्वाल्मिक ग्लास लि0 (बीओजीएल):- भारत ऑथ्वाल्मिक ग्लास लि0 की स्थापना सन् 1972 में नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लि0 कोलकाता के रूग्ण ऑथ्वाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर, किया गया था। यह कंपनी नाभिकीय सेक्टर के लिए रेडिएशन शील्डिंग विन्डों (आरएसडब्ल्यू) और रक्षा क्षेत्र के लिये आप्टीकल मर्दों और फिल्ट बटनों के निर्माण में लगी हुई है। देश भर में बीओजीएल ही ऐसी कंपनी है, जिसमें फिल्ट बटन, आप्टीकल तथा आरएसडब्ल्यू ग्लास के व्यावसायिक उत्पादन के लिये सुविधाएं मौजूद है।

14.10 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि0 (एचपीएफ):- वर्ष 1960 में निगमित यह कंपनी संवदेनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत व श्याम) सिने फिल्म, ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। यह वर्ष 1992-93 से प्रति वर्ष लगातार हानि उठा रही है। इसका निवल मूल्य ऋणात्मक होने के बाद इसे वर्ष 1995 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया। उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के पुनरुद्धार के संबंध में अध्ययन करने के लिए मै0 अर्नेस्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी। बीआरपीएसई के विचारार्थ एक नोट दि. 22.4.2008 को भेजा गया था। बीआरपीएसई ने दि. 1.8.2008 को कंपनी की व्यवसाय योजना विभाग के माध्यम से दो माह में प्रस्तुत करने की सलाह दी। तदनुसार, एचपीएफ से व्यवसाय योजना प्रस्तुत कर दी जिसका विभाग में परीक्षण किया जा रहा है।

15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश: इसमें ऋण और इक्विटी के लिए ज्यादातर 50:50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, गैर-संकीर्णता, आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके ताकि उनके कार्य निष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

15.01 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 (बीएचईएल):- यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी बिजली बोर्डों और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादक उपस्कर पारेषण और टुलाई उपस्करों के विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। इसमें 14 विनिर्माण विभाग, 9 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्र प्रादेशिक केन्द्र हैं। कम्पनी ने भारत और विदेशों में टर्नकी आधार पर विद्युत केन्द्र की आपूर्ति किये है। भेल के उत्पादों ने उच्च गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के लिए एक सुनिश्चित ख्याति स्थापित किया है।

15.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि0 (एचएमटी):- इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह कम्पनी निरंतर प्रमुख बड़ी बहु वाली एकक और बहु उत्पाद कम्पनी बन गये जिसमें 16 एकक और 22 उत्पाद प्रभाग हैं जो देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैले हुए है। यह कम्पनी अति सूक्ष्म (हाई प्रिसिशन) मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैप व लैप बनाने की मशीनरी, ट्रेक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है। एच एम टी की चार अजेव्य इकाइयों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ, एक संगठनात्मक पुनर्संरचना के रूप में इसकी घड़ी, मशीन टूल्स, बेयरिंग और अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार समूहों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नामतः एचएमटी (वाचिज) लि0, एचएमटी (मशीन टूल्स) लि0, एचएमटी (बेयरिंग्स) लि0 और एचएमटी चिनार वाचिज लि. और एचएमटी (इन्टरनेशनल) लि0 में परिवर्तित कर दिया गया है। एचएमटी बेयरिंग्स लि0 के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिया गया है। प्रागा टूल्स लि. (पीटीएल) जो 1988 से एचएमटी लि. की सहायक कंपनी है, एचएमटी एमटीएल के साथ विलय कर दिया गया है जो 1.4.2007 से प्रभावी है।

15.04 स्कुर्टर्स इण्डिया लि0 (एसआईएल):- इसे 1972 में निगमित किया गया था। यह अभी तिपहिया वाहनों का निर्माण कर रही है। बीआईएफआर ने एक पुनरुद्धार/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी था। इसने लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है और बीआईएफआर की सीमा क्षेत्र से बाहर आ गई है।

15.11 **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि० (ईपीआई):** यह 1970 में स्थापित की गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश में टर्न-की आधार पर प्रौद्योगिकी और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आपूर्ति और स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उत्पादन संबंधी सुविधाओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन कर दिया गया है।

15.12 **राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंट्स लि. (आर आई आई एल):** राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंट्स लि. का निगमन एग्री डेयरी क्षेत्र के लिए इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रुमेंट्स का विनिर्माण करने, दूरसंचार क्षेत्र के लिए संचार उप-प्रणाली, इलैक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर और विभिन्न प्रकार के पीपीबी का कार्य करने हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग और तत्कालीन इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पहल पर 1981 में इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आई एल के और राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि., जयपुर (आर आई आई सी ओ) के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में हुआ था। आई एल के के माध्यम से भारत सरकार की 51% शेयर धारिता और आर आई आई सी ओ के माध्यम से राजस्थान सरकार की 49% शेयरधारिता है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एवं विनिर्माण यूनिट जयपुर में है।

कम्पनी को 1997 में 'मिनि रत्न' दर्जा दिया गया है। वर्षों से इसने अपने प्रचालनों का विस्तार और उन्नयन किया है तथा इलैक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों की सम्पूर्ण रेंज का सृजन किया है। यह कम्पनी 'इलैक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर' के लिए बाजार में अग्रणी है।

15.13 **टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (टीसीआईएल):** यह कम्पनी 24.2.1984 को भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में निगमित की गई थी। यह टायरों के विनिर्माण तथा पुररुद्धार के लिये लंबित अन्य टायर कंपनियों के लिए कनवर्सन जॉब कर रही है। बीआरपीएसई ने इसके पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पुनर्संरचना तथा एक नीतिगत भागीदार का पता लगाने की सिफारिश किया है।

15.18 **हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० (एचपीसीएल):** इसकी स्थापना देश में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों

की स्थापना करने के लिए 1970 में की गई थी। इसकी 2 इकाइयाँ और 3 सहायक कंपनियाँ हैं। पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज निर्माण हेतु एक नई परियोजना यू.पी.पेपर मिल शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कंपनी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की सहायक कंपनी होगी जिसने असम में विद्यमान प्रचालनरत इकाइयाँ होंगी। परियोजना की कुल लागत स्थिर लागत पर लगभग 2800.00 करोड़ रु. है।

15.19 **हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल):** एचएनएल को मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 1970 में पंजीकृत किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश में नई पल्प/पेपर न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापन करना था।

15.21 **हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल):** नमक विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित सांभर, डिडवाना और खाराघोडा के नमक स्रोतों को अधिग्रहण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रित हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० को एक कंपनी के रूप में दिनांक 12.04.1958 को निगमित किया गया। नमक उत्पादन से जुड़ा यही एक मात्र केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है। कंपनी ने अपना व्यवसाय जनवरी, 1959 से प्रारंभ कर दिया था। तत्पश्चात मंडी (हिमाचल प्रदेश) में सरकार के नियंत्रण स्वामित्व के वाली नमक की खानों को भी 1.5.1963 को कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाद में, सांभर झील नामक स्रोत को नवनिर्मित सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लि० को हस्तांतरित कर दिया गया और सांभर साल्ट्स को बी.टी. कृष्णामचारी पंचाट के तहत दिनांक 30.09.1964 को पंजीकृत किया गया।

15.24 **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन के लिए एकमुश्त प्रावधान:** नई सेवा/नए प्रकरण सेवा लिखत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार के अनुमोदन के आधार पर मुख्य रूप से परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निधियों की आवश्यकता के अनुसार विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के पक्ष में एकमुश्त प्रावधान किया गया जिसका बाद में नई सेवा/सेवा के नए साधन के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकारी अनुमोदन के आधार पर उनकी निधियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभाग के अन्तर्गत अन्य क्षेत्र के उद्यमों के पक्ष में पुनर्विनियोजित किया गया।